सं0सं0–अ0सं0क0–01–04 / 2025 .... /

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तिय निगम लि०, पटना /
पीठासीन पदाधिकारी (अध्यक्ष), बिहार राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, पटना /
सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना /
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया / सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना /
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति /
सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी

पटना, दिनांक–....................... /

विषय :– **प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) बिहार, पटना का पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान–जीवन आसान' के मुख्य मकसद को सुनिश्चित करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते है :–

1. (i) प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अनुषंगी कार्यालयों एवं जिलास्तरीय कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी आम लोगो की शिकायतों के निष्पादन के लिये कार्यस्थल / कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहेंगे।

   (ii) निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे।

   (iii) यदि संबंधित पदाधिकारी सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलने के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

   (iv) जिलास्तरीय वैसे पदाधिकारी जो जिला में एक से अधिक कार्यालय के प्रभार में है वे सोमवार / शुक्रवार को सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से मिलेंगे।

कृ०पृ०उ०

(v) सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ–साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी। आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

(vi) उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारी विधिवत् आदेश निर्गत करेंगे।

2. इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।
3. अधीनस्थ पदाधिकारीगण द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई एवं आम–जनों से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा समय–समय पर विभागीय सचिव द्वारा की जायेगी।

अनुरोध है कि लोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक–19.01.2026 से लागू करते हुए पत्र में उल्लेखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी उपर्युक्त निदेशों की जानकारी देते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– अ०सं०क०–01–04/2025 199 / पटना, दिनांक– 13.01.2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

संजय 13.01.26

सरकार के संयुक्त सचिव